

नखर व
अहकाय जो
की तारीख में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 12/2020/दावा 136 एलआरएक्ट

1. शिशपाल उर्फ सीताराम पुत्र जमनाराम जाति कुमावत निवासी पचार तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब न म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती

उपस्थिति—

1. श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत वकील वादी की ओर सैं।

नि र्ण य

दिनांक — 20.10.2020

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1919/2923, 1920, 1922, 1923, 1924, 1925, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 किता 11 कुल रकबा 4.32 है0 वाके ग्राम पचार पटवार हल्का पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार हैं। वादी के जन्म के पश्चात बाल्यावस्था में वादी को घर में प्यार से माता पिता व दादा दादी व अन्य परिवारजन द्वारा शिशपाल के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था तथा बाल्यावस्था में घर में शिशपाल के नाम से पुकारने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम शिशपाल दर्ज करवा दिया गया। तत्पश्चात परिवारजन द्वारा वादी का नाम अन्य सरकारी रिकार्ड में सीताराम दर्ज करवा दिया गया जबकि शिशपाल व सीताराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। वादी के अन्य सरकारी कार्ड परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड बैंक पास बुक भामाशाह कार्ड में वादी का नाम सीताराम बदस्तुर अंकित चला आ रहा है। वादी के शिशपाल नाम का अन्य कोई भाई नहीं है। ग्राम पंचायत पचार द्वारा दिनांक 13.01.2020 को जारी प्रमाण पत्र में भी सरपंच द्वारा शिशपाल व सीताराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। उपरोक्त भूमि के राजस्व


उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

रिकार्ड में वादी का नाम शिशपाल दर्ज है जो कि उपरोक्त वजह से सहवन से दर्ज चला आ रहा है जबकि अन्य समस्त दस्तावेजात व रिकार्ड में वादी का नाम सीताराम दर्ज है। इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेज में भिन्न होने के कारण वादी अपने हिस्से की खातेदारी भूमि को विकसित करने की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है जिससे वादी को अपूर्तनीय क्षति हो रही है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सीताराम दर्ज करवाने की उद्घोषणा की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद कारण आज से करीब 10 रोज पूर्व वादी द्वारा अपनी भूमि को विकसित करने के लिए बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने की कार्यवाही हेतु बैंक में जाने पर भिन्न नाम होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती होने के पश्चात ही किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण देने एवं रिकार्ड में दुरुस्ती करवाये बिना किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण नहीं मिलने के कारण उत्पन्न हुआ है जो कि वादकारण क्षण-प्रतिक्षण निरन्तर रूप से जारी है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 1919/2923, 1920, 1922, 1923, 1924, 1925, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 किता 11 कुल रकबा 4.32 है० वाके ग्राम पचार पटवार हल्का पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का नाम शिशपाल पुत्र जमनाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम शिशपाल उर्फ सीताराम पुत्र जमनाराम उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।


2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का नाम शिशपाल पुत्र जमनाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम शिशपाल उर्फ सीताराम पुत्र जमनाराम उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का


उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम पंचार में मौके पर ग्राम चौपाल पर उपस्थित ग्रामवासीयों से शिशपाल उर्फ सीताराम के संबध में पुछताछ की गई तो ग्रामवासियों ने शिशपाल उर्फ सीताराम एक ही व्यक्ति बताया। शिशपाल उर्फ सीताराम पुत्र जमनाराम किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 1919/2923, 1920, 1922, 1923, 1924, 1925, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 किता 11 कुल रकबा 4.32 है० वाके ग्राम पंचार पटवार हल्का पंचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का नाम शिशपाल पुत्र जमनाराम के स्थान पर शिशपाल उर्फ सीताराम पुत्र जमनाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20. रूल 6-7. जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर
इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

शिशपाल उर्फ सीताराम

बनाम

राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा नं० 12 / दावा सन् 2020

निर्णय दिनांक. 20.10..2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 1919/2923, 1920, 1922, 1923, 1924, 1925, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 किता 11 कुल रकबा 4.32 है० वाके ग्राम पचार पटवार हल्का पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम शिशपाल पुत्र जमनाराम को दुरुस्त कर उसके स्थान पर शिशपाल उर्फ सीताराम पुत्र जमनाराम संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.10..2020 को जारी की गई।



इ. 20/10
दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

